

/235975/2024

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या:- — /XXXVI-A-1/2024-184/2001 T.C-I(E-75285)

देहरादून दिनांक: 29 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं०-39 सन् 1987) की धारा-6 के साथ पठित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 3 के अधीन श्री राज्यपाल, मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम -3(3) के अधीन नामित सदस्य

- 1) श्री महेश चन्द्र काण्डपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2) डॉ० पी०सी० जोशी, विधि प्रोफेसर (से०नि०)/भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा।
- 3) प्रोफेसर (डॉ०) राजेश बहुगुणा, प्रो वाइस चांसलर, उत्तरांचल विश्वविद्यालय तथा डीन, लॉ कॉलेज देहरादून।
- 4) सुश्री प्रभा रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम सिरोली, पो० मण्डल, चमोली, उत्तराखण्ड।
- 5) सुश्री नीलिमा भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, ईश्वरी भवन, वेस्ट पोखरखाली, रानीधारा रोड, अल्मोड़ा।

Signed by Pradeep Pant

Date: 29-08-2024 15:55:54

(प्रदीप पन्त)

प्रमुख सचिव।

संख्या:- — (1)/XXXVI-A-1/2022-184/2001 T.C-I(E-75285) तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आसाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

Signed by Sudhir Kumar Singh

Date: 29-08-2024 16:19:10

(सुधीर कुमार सिंह)

अपर सचिव।

संख्या:- 356 (2)/XXXVI-A-1/2022-184/2001 T.C-I(E-75285) तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
3. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित सदस्यगण द्वारा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार सिंह)

अपर सचिव।